

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू (राँची)।

U/S 15 OF THE BIHAR TENANT'S HOLDINGS (MAINTENANCE OF RECORDS) ACT, 1973

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-36/2019-20

1. रंगो देवी, पति-स्व० गिरीधारी महतो,
सा०-जामडीह, पो०-सितु, थाना-ईचागढ़,
जिला-सराईकेला खरसवाँ (झारखण्ड).....अपीलार्थी।
बनाम

1. अंचल अधिकारी, सोनाहातु,
2. जीवलाल महतो, वो रविन्द्र महतो, पिता-स्व० दुर्गा महतो, वो
संतु महतो, पिता-स्व० बुधराम महतो, ग्राम+पो०-चोकाहातु,
टोला-सावडीह, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची।.....विपक्षी।

आदेश

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी ने अंचलाधिकारी, सोनाहातु के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०-12 R27/2017-18 में दिनांक-13.05.2017 को पारित आदेश के विरुद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
चोकाहातु	सोनाहातु	03	106	4690	35 डिसमील

चौहद्दी:- उ०-रमेश चन्द्र महतो, द०-कादरु महतो,
पू०-कन्नीलाल महतो, प०-भुतनाथ महतो

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०-12 R27/2017-18 का अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। जिसमें राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के मंतव्यानुसार आवेदित भूमि बिक्रेता सी०एन०टी० सूचीबद्ध जाति अंतर्गत है। भूमि बिक्री की अनुमति प्राप्त नहीं है। अतएव इसी आधार पर नामांतरण अस्वीकृत की गयी है। इस संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता सुनवाई के दौरान कहते हैं कि आवेदक ने उपरोक्त जमीन को खरीदने के उपरांत से ही शांतिपूर्वक दखल कब्जा किया है। क्रेता-विक्रेता दोनों एक ही जाति के सदस्य हैं। आवेदक द्वारा दिनांक-03.08.2011 को जब जमीन का निबंधन किया गया था उस समय पूर्व में परिमिशन लेने का कोई कानूनी नियम नहीं था। इसलिए बिना परमिशन के ही जिला सब रजिस्ट्रार राँची कार्यालय से निबंधन कार्य नियमानुसार किया गया है। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में सालखन मूर्मू बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के वाद W.P.(PIL) No.-758/2011 के आदेश 25 जनवरी 2012 ई० को माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश शरिया और अमरेश कुमार सिंह न्यायमूर्ति के संयुक्त आदेश पर C.N.T. Act 1908 Section 46 i (s) के तहत cnt के O.B.C सदस्य को जमीन विक्रय पूर्व परमिशन लेना अनिवार्य कर दिया तब से झारखण्ड की सरकार ने यह नियम लागू किया है। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए आवेदन में C.N.T. Act 46 के तहत परमिशन की स्वीकृति आदेश प्राप्त कर दाखिल खारिज करना चाहते हैं।

19.12.2020

क्रमांक तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
	<p>उपसमाहर्ता, विधि शाखा, राँची के पत्रांक-217(ii) दिनांक-31/01/2012 के द्वारा प्राप्त माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के W.P.(PIL) No.-758/2011 सालखन मुर्मू बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-25/01/2012 को पारित आदेश की प्रति जिसमें मुख्य न्यायाधीश प्रकाश टाटिया एवं न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह के द्वारा C.N.T.Act का सख्ती से अनुपालन करने का निदेश दिया गया है।</p> <p>अतः उपरोक्त तथ्यों एवं निर्देशों, विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उनके द्वारा दाखिल किये गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि कथित भूमि के क्रेता-विक्रेता दोनों कुर्मी जाति हैं जो C.N.T.Act से प्रभावित है। आवेदित भूमि के हस्तांतरण पूर्व अनुमति नहीं ली गयी है। उपरोक्त भूमि के हस्तांतरण में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-46 1 (b) का उल्लंघन हुआ है। अतः उपरोक्त अपील वाद को अस्वीकृत किया जाता है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू(राँची)।</p> <p>8.19/12</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू(राँची)।</p>	